उत्तर प्रदेश शासन
वित्त संसाधन (सामान्य) अनुभाग
संख्या-2/2021/आर0जी0-234 /दस-2021-03/2020
लखनऊः दिनांक 10 मार्च, 2021

विज्ञप्ति/नियुक्ति

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा राज्य वित्तीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय के अन्तर्गत शोध अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु लिये गये साक्षात्कार परीक्षा, 2015 के आधार पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से लेवल-10 (वेतन बैण्ड रू0 56,100-1,77,500) के वेतनमान में शोध अधिकारी के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किये जाने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैंः-

(1) सुश्री शैली तोमर, बागपत, उ0प्र0
(2) सुश्री विनिता गोयल, मुजफ्फरनगर, उ0प्र0
(3) सुश्री रीतू गोयल, मेरठ, उ0प्र0
(4) श्री विवेकानन्द, मेरठ, उ0प्र0

(2) उपर्युक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतन के अतिरिक्त सम्बन्धित अधिकारी को शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता एवं अन्य अनुमन्य भत्तें भी देय होंगे।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी को किसी कारण से ज्ञात होने पर कि सम्बन्धित अधिकारी नियमित संवर्ग में शोध अधिकारी के पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं है तो इस नियुक्ति को एक मास की नोटिस पर या उसके स्थान पर एक मास का वेतन देकर बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायेगा।

(4) सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्ते ''उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय योजना और संसाधन निदेशालय के अन्तर्गत ''उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय योजना और संसाधन निदेशालय राजपत्रित सेवानियमावली, 2001'' के अनुसार होगी। शोध अधिकारी के पद पर नियुक्ति के सन्दर्भ में की गई यात्रा के लिये सम्बन्धित अधिकारी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(5) सम्बन्धित अधिकारी को स्पष्ट किया जाता है कि आदेश के निर्गत होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण किये जाने हेतु उपस्थित होना होगा। यदि उक्त निर्धारित अवधि में वे कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित नहीं होते हैं और उनसे कार्यभार ग्रहण करने हेतु समय बढ़ाये जाने का प्रार्थना-पत्र उक्त अवधि के अन्दर प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जायेगा कि वे कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है और अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(6) सम्बन्धित अधिकारी को यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कार्यभार ग्रहण करने

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

हेतु अतिरिक्त समय से सम्बन्धित आवेदन-पत्र यदि समुचित कारणों से उनके द्वारा निर्धारित समय के भीतर दिया गया है तब उन्हें कार्यभार ग्रहण करने हेतु अधिक से अधिक दो माह का समय दिया जायेगा। यदि उनके द्वारा उक्त बढ़ायी गयी अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उनका अभ्यर्थन स्वमेव समाप्त हो जायेगा।

एस0 राधा चैहान
अपर मुख्य सचिव, वित्त ।

संख्या-2/2021/आर0जी0-234(1)/दस-2021-03/20 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक/अपर निदेशक, उ0प्र0 राज्य वित्तीय योजना और संसाधन निदेशालय, 10वॉ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
4- संयुक्त सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद को उनके पंजीकृत पत्र संख्या-30(।।।)/02/डी0आर0/एस-5/2012-13, दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 के संदर्भ में।
5- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 ऐशबाग, लखनऊ को राज पत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ।
6- व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
7- सुश्री शैली तोमर, राम बाग कालोनी, निकट सांई मंदिर, बड़ौत, बागपत, उ0प्र0, पिन-250611 ।
8- सुश्री विनिता गोयल, 7/1, पटेल नगर, नई मंडी, मुजफ्फरनगर, उ0प्र0, पिन-251001 ।
9- सुश्री रीतू गोयल, 543/6, जागृति विहार,मेरठ, उ0प्र0।
10- श्री विवेकानन्द,पुत्र श्री आजाद बाबू, सलावा, मेरठ, उ0प्र0, पिन-250342।

आज्ञा से,

सिद्धार्थ श्रीवास्तव
अपर निदेशक।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।